मत्स्य विभाग उ० प्र० द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रम

(1) मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं

क्र.सं.	मदों का विवरण	इकाई लागत एवं सहायता का स्वरूप
(i)	ग्राम समाज के तालाबों का पट्टा	ग्राम सभा के तालाबों का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है, पट्टा दिलाने में मत्स्य विभाग सहयोग करता है।
(ii)	तालाब सुधार/निर्माण	रू० 0.75 लाख प्रति 1.0 हे०। 20% सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग को तथा 25% अनुसूचित जाति/जनजाति को अनुदान सुविधा अनुमन्य है।
(iii)	निजी भूमि पर तालाब सुधार/निर्माण	रू० 3.00 लाख प्रति 1.0 हे०। 20% सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग को तथा 25% अनुसूचित जाति/जनजाति को अनुदान सुविधा अनुमन्य है।
(iv)	उत्पादन निवेश	रू० 0.50 लाख प्रति 1.0 हे०। 20% सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग को तथा 25% अनुसूचित जाति/जनजाति को अनुदान सुविधा अनुमन्य है।
(v)	मत्स्य बीज की आपूर्ति	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की हैचरियों तथा मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों पर उत्पादित मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य पालकों को तालाब तक सरकारी दरों पर की जाती है।
(vi)	मिनी हैचरी	निजी क्षेत्र में 10 मिलियन फ्राई उत्पादन हेतु मिनी हैचरियों की स्थापना हेतु रू० 12.00 लाख तक बैंक ऋण की सुविधा पर 10% अधिकतम रू० 1.20 लाख तक की सुविधा उपलब्ध है।
(vii)	सजावटी मछलियों के लिए हैचरियों के साथ–साथ एकीकृत एककों की स्थापना	यूनिट लागत 15 लाख रूपए है जिसमें 5-10 मिलियन (फ्राई) क्षमता वाली हैचरी शामिल है। मत्स्य पालकों की सभी श्रेणियों का 1.50 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10% की दर से अनुदान देय है।
(viii)	सजावटी मछलियों के लिए ब्रूड बैंक	प्रचार–प्रसार के लिए फार्म, ढुलाई प्रबंध को शामिल करते हुए प्रति यूनिट 25 लाख रूपये। राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध।
(ix)	मछुआ आवास निर्माण	रू० 0.45 लाख प्रति लाभार्थी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआ समुदाय का व्यक्ति हो।

(2) राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं

क्र.सं.	मदों का विवरण	इकाई लागत एवं सहायता का स्वरूप
(i)	मत्स्य पालक द्वारा नए तालाब का निर्माण	रू० 3.00 लाख/हेक्टयर। 20% अनुदान अधिकतम 0.60 लाख/हेक्टेयर सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को देय 25% अधिकतम रू० 0.75 लाख/हेक्टेयर अनुदान अनु० जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों को देय।
(ii)	पूर्व में निर्मित तालाब में सुधार कार्य	रू० 0.75 लाख/हेक्टयर। 20% अनुदान अधिकतम 0.15 लाख/हेक्टेयर सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को देय 25% अधिकतम रू० 0.1875 लाख/हेक्टेयर अनुदान अनु० जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों को देय।
(iii)	मत्स्य पालन प्रथम वर्ष में निवेश फिन फिश संवर्धन	रू० 0.50 लाख/हेक्टयर। 20% अनुदान अधिकतम 0.10 लाख/हेक्टेयर सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को देय 25% अधिकतम रू० 0.125 लाख/हेक्टेयर अनुदान अनु० जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों को देय।

(3) कृषि विविधीकरण योजना द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

क्र.सं.	मद/योजना का नाम	इकाई लागत एवं सहायता का स्वरूप
1. (i)	ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन	रू० 1.04,400 लाख/हेक्टयर जिसमें 71% परियोजना अंश के रूप में मत्स्य पालकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
(ii)	निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन (एफ.एफ.डी.ए. अनाच्छादित)	रू० 0.93,200 लाख/1.0 हेक्टयर, जिसमें 47.90% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
(iii)	निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन (एफ.एफ.डी.ए. आच्छादित)	रू० 0.93,200 लाख/1.0 हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को 29% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
(iv) (a)	एकीकृत मत्स्य पालन मत्स्य–सह–मुर्गीपालन	रू० 0.77438 लाख/0.50 हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को 37.03% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
(b)	मत्स्य–सह–बागवानी	रू० 0.98133 लाख/0.50 हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को 37.53% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
(c)	मत्स्य–सह–सूकर पालन	रू० 1.01663 लाख/0.50 हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को 40.12% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(v) (a)	मत्स्य नर्सरी निर्माण स्पान से फ्राई	रू० 4.25310 लाख/1.0 हेक्टयर, जिसमें 66.99% परियोजना अंश के रूप में मत्स्यपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(b)	फ्राई से फिंगर लिंग	रू० 5.94500 लाख/1.0 हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को 64.90% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(c)	फिंगर लिंग से इयरलिंग	रू० 4.92190 लाख/1.0 हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को 64.38% परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	योजना का नाम	इकाई लागत एवं सहायता का स्वरूप
(d)	मत्स्य बीज हैचरी निर्माण	रू० **4.6950** लाख / **1.0** हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालकों को **47.12%** परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(vi) (a)	महाझींगा पालन पायलेट परियोजना राज्य सेक्टर योजना	रू० **0.50** लाख / **0.5** हेक्टयर जिसमें **50%** की वित्तीय सहायता।
(b)	डास्प योजना	रू० **0.64750** लाख / **0.5** हेक्टयर, जिसमें मत्स्यपालकों को **71.00%** परियोजना अंश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. (a)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एकीकृत मत्स्य पालन	रू० **0.75** लाख / **0.5** हेक्टयर, जिसमें मत्स्यपालन को **50.00%** वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(b)	रिवर रैचिंग योजना	इस योजना के अन्तर्गत नदियों में प्राकृतिक मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु **2** इंच या इससे बड़े आकार के मत्स्य बीज का संचय किया जाता है।
5.	जल–प्लावित योजना	जल प्लावित भूमि पर तालाबों के सुधार / निर्माण कार्य हेतु रू. **1.25** लाख प्रति **1.0** हे० की दर से अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
6.	राष्ट्रीय मछुआ कल्याण समूह दुर्घटना बीमा योजना	पंजीकरण मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के सदस्यों / सक्रिय मत्स्य पालकों को इस योजना से आच्छादित किया जाता है। जिनका प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें दुर्घटना या मृत्यु होने पर रू. **1.00** लाख तथा विकलांगता की स्थिति में रू. **0.50** लाख तक की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है।
7.	मोबाइल फिश पार्लर योजना	रू० **5.50** लाख / मोबाइल पार्लर, जिसमें लाभार्थी को अधिकतम **30%** अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
8.	कैट फिश पालन (देशी मांगुर)	रू० **0.20** लाख / **0.1** हेक्टयर, जिसमें मत्स्य पालन को **50%** अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
9.	सपोर्ट टू एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्मस योजना	इस योजना के अन्तर्गत विकास परक परियोजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु चयनित मत्स्य पालकों को अन्तर्राज्यीय प्रदेश स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट तथा प्रदर्शन तालाबों के संचालन की सुविधा अनुमन्य है।

विस्तृत विवरण हेतु सम्पर्क करें :–

सुधीर कुमार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मत्स्य पालक विकास अभिकरण

गोण्डा